संख्या– /59–सतावन/बजट/स0ना0उ0/2004–2005

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
नागरिक उड्डयन,
उत्तरांचल देहरादून।

नागरिक उड्डयन विभाग

देहरादून दिनांक: 18 जनवरी,2005

विषयः– विविध/कतिपय अवचनबद्ध मानक मदों में धनराशि का पुनर्विनियोजन द्वारा स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–373/59–सतावन/बजट/ स0ना0उ0/2004–05 दिनांक 18 अगस्त 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 18 अगस्त 2004 द्वारा निम्न तालिका में अंकित मानक मदों की धनराशि कम पड़ने के कारण तालिका के मानक मदों के सम्मुख अंकित धनराशि रू0 2,25,000.00 (रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम–15 के प्रपत्र के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग करके व्यय हेतु आपके निवर्तन पर इस प्रतिबन्ध के साथ रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि मितव्ययता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा –

| क्रम सं0 | मानक मद | शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2004 द्वारा आवंटित बजट | बचतों से अतिरिक्त बजट आवंटन | कुल बजट आवंटन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 08–कार्यालय व्यय | 1,00,000 | 50,000 | 1,50,000 |
| 2 | 15–मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद | 50,000 | 50,000 | 1,00,000 |
| | 17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व | 1,00,000 | 1,25,000 | 2,25,000 |
| | योग:– | | 2,25,000 | |

2– शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध शासनादेश संख्या– 373/59–सतावन/बजट/ स0ना0उ0/2004–2005 दिनांक 18 अगस्त, 2004 के अनुरूप ही रहेंगे।

3– उक्त मदों में व्यय उपरानुसार आवंटन की सीमा में ही सीमित रखा जायेगा।

4– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनमें अब यह आवंटन किया जा रहा है।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 3053 नागर विमानन 80–सामान्य–आयोजनेत्तर–003– प्रशिक्षण तथा शिक्षा–03 नागरिक उड्डयन– 00– के अन्तर्गत संलग्न में उल्लिखित विवरणानुसार सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–33/वि0अनु0–3/2004 दिनांक 14 जनवरी,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

संख्या–145/59–सतावन/बजट/स0ना0उ0/2004–2005, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3
4– गार्ड बुक।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय।

NIC

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

आय व्ययक-पपत्र-15 पुर्नविनियोग-2004-2005 (हजार रू० में)

आयोजनेतर से आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी, सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तरांचल शासन, प्रशासनिक विभाग, अनुदान संख्या-24

(रूपये हजार में)

| बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण | मानक मदवार अध्यावधिक व्यय | वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय | अवशेष सरप्लस धनराशि | लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है | पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि | पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ-4 की अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3053-नागर विमानन- 80 सामान्य आयोजनेतर-003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03-नागरिक उड्डयन-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान<br>1000 | | | | 3053-नागर विमानन-80-सामान्य-आयोजनेतर-003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03 नागरिक उड्डयन-08 कार्यालय व्यय<br>50 | 150 | |
| | | | | 15 मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद<br>50 | 100 | |
| | — | 725 | 275 | 17 उपशुल्क एवं कर स्वामित्व<br>125 | 225 | 775 |
| 1000 | — | 725 | 275 | 225 | 475 | 775 |

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 15, 156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(पी०सी०शर्मा)
सचिव ।

वित्त विभाग
वित्त अनुभाग-3
उत्तरांचल शासन ।

संख्या- 33 (के)/XXXVII/(3)2005,दिनांक 18-01-2005

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(के०सी० मिश्रा)
अपर सचिव वित्त

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल
ओबेराय मोटर बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।

संख्या-645/IX-सतायन/बजट/सा०ग01090/2004-2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वरिष्ट कोषाधिकारी, देहरादून।
2- वित्त अनुभाग-3

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)
सचिव